प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला......**भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली**.........थाना........ **प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**.........
(प्र.सू.रि.स.) ....220/22..........दिनांक) ....6/6/2022..........
2. (अ) अधिनियम ...**भ्र0 नि0 (संशोधित) अधि. वर्ष 2018**....... धारायें.........**7**..........
(ब) अधिनियम ....धारायें..........
(स) अधिनियम ....धारायें..........
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....92..........समय..........3:00 PM..........
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक ....**रविवार / 05.06.2022 / 09:40 ए.एम**..........
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक ....समय ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित रिपोर्ट**
5. घटनास्थल.......**पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के पास श्री गोमती ज्यूस सेन्टर** ....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी ....**बजानिव दिशा उत्तर, दूरी करीब 30 कि.मी.**..........
(ब) पता ....बीट सख्या ....जरायम देही सं..........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..............जिला..........
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ....**श्री कप्तान गुर्जर** ....
(ब) पिता / पति का नाम ....**श्री देशराज गुर्जर** ....जाति................**गुर्जर**..........
(स) जन्म तिथि / वर्ष ....**26 वर्ष**..........
(द) राष्ट्रीयता..........**भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह..........
(र) व्यवसाय..........
(ल) पता.......................**ग्राम वनकी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला भरतपुर**..........
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1– बहादुर सिंह पुत्र श्री मोहरपाल, जाति गुर्जर, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सीता, पुलिस थाना वैर, जिला भरतपुर हाल ASI पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–............**कोई नही**..........
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......
..........**5,000 / –रू0 रिश्वत राशि** ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).............
..........**5,000 / –रू0 रिश्वत राशि** ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**.............
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली विषयः–रिश्वतखोर ASI को पकडवाने बाबत। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कप्तान गुर्जर हूं। मेरे व मेरे परिवार वालो के खिलाफ अल्का शर्मा पत्नी अजय शर्मा निवासी स्टेशन रोड़ हिण्डौन ने पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी में मुकदमा नं. 224 / 22 दर्ज करवा दिया। जिसकी जांच बहादुर सिंह ASI साहब पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी कर रहे है। मुकदमे में हमारा आपसी राजीनामा हो गया जिसके लिए हमारी तरफ से तथा अल्का शर्मा की तरफ से 100–100 रूपये के स्टाम्प पर लिखापढ़ी करवाकर नोटेरी करवा कर स्टाम्प ASI को पेश कर दिये। मैं कल शाम को ASI साहब से हिण्डौन में नई मण्डी थाने के सामने ज्यूस की दूकान पर मिला तो ASI साहब ने मेरे से कहा कि तूम्हारे खिलाफ अजय शर्मा ने रिपोर्ट दे दी है दबाब में राजीनामा लिखवाने की, वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। अब दोनो फाईलो में लिखापढ़ी करनी पडेगी। तू मुझे दोनो फाईलो का खर्चा 10000 रूपये दे देना जिसमें सी.आई. साहब व ए.पी.पी. सबके हो जायेगे। मैंने कहा कि साहब मेरे पास

अभी नही है मैं आपको कल सुबह दे जाउंगा। जिस पर मैं उसके पास से आ गया। मैं ऐसे रिश्वतखोर थानेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर 04–06–2022 कप्तान गुर्जर S/O श्री देशराज गुर्जर उम्र 26 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम बनकी त0 – हिण्डौन, जिला करौली मो. नं. 8302076905

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 04.06.2022 को समय 08:46 ए.एम. पर मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता श्री बृजेश कुमार कानि. 461, श्री श्याम सिंह कानि. 599 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय वाईस रिकार्डर आदि के अंहिसा सर्किल सौरभ कॉलेज के पास खेड़ा पहुंचे जहां पर जरिये मोबाईल परिवादी श्री कप्तान गुर्जर से सम्पर्क करने पर मोटर साईकिल लेकर सरकारी वाहन पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया जिससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कप्तान गुर्जर पुत्र श्री देशराज गुर्जर, उम्र 26 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बनकी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली होना बताया व एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय आधार कार्ड की फोटोप्रति व राजीनामा इकरार के स्टाम्पो की फोटोप्रति के रिश्वतखोर ASI को पकड़वाने बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। परिवादी श्री कप्तान गुर्जर द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख से लिखना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुए लिखित रिपोर्ट की ताईद की। परिवादी ने बताया कि मैं अभी ASI के पास जाउंगा तो वो मेरे से अभी फाईलो के खर्चा के बारे में बात कर लेगा। मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को निकलवाकर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई जाकर वॉईस रिकार्डर को श्री श्याम सिंह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर कार्यालय में पहुंचे व वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय में रखे तथा मन उप अधीक्षक पुलिस के बाद राजकार्य भरतपुर से वापस कार्यालय में आने पर पेश करे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई जाकर परिवादी श्री कप्तान गुर्जर व श्री श्याम सिंह कानि. को परिवादी की मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के कहे अनुसार पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन के लिए रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता व सरकारी वाहन के भरतपुर रवाना हो गया। समय 05:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक के बाद राजकार्य भरतपुर से आने पर कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री कप्तान गुर्जर व श्री श्याम सिंह कानि. मन उप अधीक्षक पुलिस के पास कक्ष में आये व परिवादी श्री कप्तान गुर्जर ने पूछने पर बताया कि मैं और श्याम सिंह कानि. आपके निर्देशानुसार अंहिसा सर्किल सौरभ कॉलेज के पास खेड़ा से रवाना होकर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन के पास पहुंचे व मैने बहादुर सिंह ASI साहब को मोबाईल से फोन कर मिलने के बारे में पूछा तो उसने चिंकारा केन्टीन के पास वर्धमान नगर हिण्डौन में किराये के मकान में होना बताया व मुझे भी वही पर बुलाया। जिस पर हम दोनो रवाना होकर चिंकारा केन्टीन के पास पहुंचे व श्याम सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे दे दिया जहां से मैं रवाना होकर बहादुर सिंह ASI साहब के कमरे पर पहुंचा जहां वह मुझे मिल गया। मैंने बहादुर सिंह ASI साहब

द्वारा मेरे से कल मांगे 10,000/–रूपये में से मैने 4000/–रूपये दिये जिसने मेरे से पूछा कितने है मैने कहा कि 4 है और शाम को दे दूंगा। उसने कहा कि बच्चे बीमार है तो बाद में दे देना। मैने ASI साहब से मुकदमो के सम्बन्ध में बात की और 8000 रूपये देने की कहा कि तो ASI साहब ने मेरे से कहा कि फाईल लिखाने वाले के, CI साहब के, APP के, नतिजा के लगते है। मैने उसको 4000 हजार की बजाय 5000 रूपये दे दिये और 3000 शाम को या फिर कल सुबह और शेष 2000 रूपये 2–3 दिन बाद में देने की कहा है। कल मुझे आधार कार्ड व फोटो लेकर बुलाया है। मैं आज बहादुर सिंह ASI को 5000 उसके किराये के कमरे पर सत्यापन के समय देकर आया हूं और मैं उसकी मांग अनुसार शेष 5000 रूपये एक साथ ही कल दे दूंगा। मैने सभी बाते श्याम सिंह कानि. को बता दी है। इस पर श्री श्याम सिंह कानि. ने पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद की। श्री श्याम सिंह कानि. ने मांगने पर परिवादी के सामने कार्यालय की आलमारी से वाईस रिकार्डर निकालकर बन्द हालत में पेश किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में वाईस रिकार्डर को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर (acer कम्पनी) में कनेक्ट करवा कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (समय 11 मिनट 57 सैकेण्ड) को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री कप्तान गुर्जर व गवाहान की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी श्री कप्तान गुर्जर एवं आरोपी बहादुर सिंह ASI पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.06.2022 की गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री कप्तान गुर्जर से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता की 3 DVD क्रमश–मूल प्रति, मुल्जिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति तैयार कर मार्क "A" अंकित कर DVD पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम प्रति DVD को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं आई.ओ. प्रति डी.वी.डी. को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.06.2022 से आरोपी द्वारा रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाई गई। मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड कुल 2 DVD मार्क A को जमा मालखाना करवाया गया एवं परिवादी श्री कप्तान गुर्जर को मय रिश्वत राशि के दिनांक 05.06.2022 को समय 06:00 ए.एम. आने की हिदायत कर रूकसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड करौली के पदनाम से तहरीर जारी कर गवाहान हमराह लाने हेतु श्री कपिल सिंह कानि. 168 को उपखण्ड अधिकारी करौली के निवास पर बाद हिदायत रवाना किया गया जो दो स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार तहसील करौली एवं श्री घनश्याम शर्मा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली को साथ लेकर आया। गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए बाद हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 05.06.2022 को 06:30 ए.एम. पर समय पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री घनश्याम शर्मा वरिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में बिठाया गया। समय 07:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री कप्तान गुर्जर मय रिश्वत राशि के उपस्थित कार्यालय आया। पूर्व से कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट

पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर समय 07:50 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को मौतबिरान के सामने परिवादी श्री कप्तान गुर्जर ने मांगने पर आरोपी बहादुर सिंह ASI को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/–रूपये अपने पास से निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	6 HA 294347
2	एक नोट 500 रूपये का	2 MC 065499
3	एक नोट 500 रूपये का	7 KR 371965
4	एक नोट 500 रूपये का	5 CB 729686
5	एक नोट 500 रूपये का	7 GL 943940
6	एक नोट 500 रूपये का	9 CB 454557
7	एक नोट 500 रूपये का	7 RT 418951
8	एक नोट 500 रूपये का	0 HU 837230
9	एक नोट 500 रूपये का	5 CB 590936
10	एक नोट 500 रूपये का	6 RE 659128

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री केशव देव कानि. 600 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री केशव देव कानि. से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 5,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री कप्तान गुर्जर की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाई गई। इसके बाद श्री केशव देव कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 5,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री कप्तान गुर्जर के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की साईड की दायी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री केशव देव कानि. से वापस मालखाना में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री केशव देव कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप

कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री कप्तान गुर्जर को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:30 ए.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. 600 को कार्यालय में छोडा जाकर श्री राकेश सिंह कानि. 268 व कपिल सिंह कानि. 168 को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से एवं बृजेश कुमार कानि. 461 व श्री विष्णु सिंह कानि. 135 को परिवादी की मोटर साईकिल से तथा सरकारी वाहन बोलरो नं RJ14 UB 0336 से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय श्याम सिंह कानि. 599, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277, परिवादी श्री कप्तान सिंह एवं स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व घनश्याम शर्मा वरिष्ठ सहायक मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 09:25 ए.एम. पर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी से आगे रेलवे ओवरब्रिज के निचे पहुंच सरकारी वाहन व मोटर साईकिलो को साईड में रूकवा कर परिवादी श्री कप्तान गुर्जर को आवश्यक हिदायत कर वाईस रिकार्डर चालू करवाकर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के लिए निजी मोटर साईकिल से रवाना किया तथा जाप्ता शेष जाप्ता को ऑटो से पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के पास पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया व श्री बृजेश कुमार कानि. चालक को सरकारी वाहन थोडी देर बाद लाने की हिदायत की गई एवं मन उप अधीक्षक पुलिस व श्री श्याम सिंह कानि. सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुये। परिवादी ने पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के बाहर मोटर साईकिल खड़ी कर थाने के अन्दर चला गया व सफारी सूट पहने हुए व्यक्ति के साथ थाने के बाहर आकर ज्यूस की दूकान पर पहुंचे। मन उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा करने लगे कि समय 09:40 ए.एम. पर परिवादी श्री कप्तान गुर्जर द्वारा पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के बाहर दांयी तरफ स्थित श्री गोमती ज्यूस सेन्टर के आगे से नियत ईशारा करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को हाथ से अपनी तरफ आने का ईशारा कर ट्रेप पार्टी को साथ लेकर श्री गोमती ज्यूस सेन्टर के आगे खड़े परिवादी के पास पहुंचे जहां पर परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा व परिवादी ने पास ही खडे हुए सफारी–सूट पहने हुए व्यक्ति को आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. होना बताया एवं रिश्वत राशि पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रखी होना बताया। जिस पर पास ही खड़े उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का नाम पूछा तो बहादुर सिंह ए.एस.आई. पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी होना बताया। जिस पर आरोपी को हमराह लेकर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के थानाधिकारी कक्ष में लेकर पहुंच आरोपी को तसल्ली देकर पूरा नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम बहादुर सिंह पुत्र श्री मोहरपाल, जाति गुर्जर, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सीता, पुलिस थाना वैर, जिला भरतपुर हाल ASI पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली होना बताया। आरोपी से परिवादी कप्तान गुर्जर से कुछ समय पहले प्राप्त की गई राशि 5000/–रुपये किस लिए लिये है। आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. ने बताया कि मेने कप्तान गुर्जर से कोई रुपयो की मांग नही कि थी इसके व इसके परिवारजन के खिलाफ श्रीमति अल्का शर्मा व अजय शर्मा निवासी स्टेशन रोड हिण्डौन सिटी ने पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी पर प्रकरण दर्ज करवा रखे है जिनके प्रकरण संख्या 224/2022 व

247/2022 है इन प्रकरणो का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उक्त दोनो प्रकरणो मे अरविन्द पुत्र देशराज गुर्जर निवासी बनकी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित है। कप्तान गुर्जर कई दिनो से मेरे पास आ रहा था 5000/–रुपये आज अभी कुछ देर पहले दिये है, मेने कप्तान गुर्जर से ना रिश्वत की मांग की और नां ही रिश्वत ली है इन्होने मुझे जबरदस्ती रूपये दे दिये जिनको मैने गिना भी नही। वक्त सत्यापन दिनांक 04.06.2022 को परिवादी कप्तान गुर्जर से आरोपी द्वारा फाईल खर्चा के नाम पर अन्य अधिकारी/कर्मचारी को रूपये देने के लिए रिश्वत मांग के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मैने किसी के लिए रूपये नही लिए है। मैने नां तो मेरे लिए है और नां किसी दूसरे के लिए रूपये लिए है। इस पर परिवादी कप्तान गुर्जर को पूछा तो आरोपी के उपरोक्त जबाब का खण्डन करते हुये बताया कि मेरे व मेरे परिवाजन के विरुद्ध दर्ज मुकदमो मे मदद करने व फाईल खर्चा के लिये 10000/–रुपये मांगे जिस पर मेने कल दिनांक 04.06.2022 को आपको शिकायत पेश की जिस पर आपने सत्यापन करवाया उस समय मेरे से बहादुर सिंह ए.एस.आई. ने 5000/–रुपये ले लिये एव 5000/–रुपये अभी कुछ समय पहले ज्यूस की दुकान पर ले लिये है जो अभी इनकी पेन्ट की पीछे की दांयी जेब मे रखे हुये है। इस पर श्री बृजेश कुमार कानि. चालक से सरकारी वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स आदि को मंगवाकर स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ट्रेप बॉक्स मे से स्टील का कटोरा निकलवाकर कमरे में रखे पानी के केम्पर में से स्टील के लौटा से पानी भरवाकर गवाह के दोनो हाथों व स्टील कटोरा को साबुन–पानी से धुलबाकर उसमें साफ पानी भरवाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कोर्बोनेट पाउडर स्टील के कटोरा में डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया तो उक्त पानी का रंग अपरिवर्तीत रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर शील्ड मोहर करवाकर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद उक्त स्वतंत्र गवाह से ट्रेप बॉक्स से दूसरा कटोरा निकलवाकर दोनो हाथों व स्टील के कटोरा व चम्मच को साबुन–पानी से धुलबाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर स्टील के कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर शील्ड मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. से रिश्वत राशि पेश करने के लिए कहने पर आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब से 500–500 रूपये के मुडे हुए नोट निकालकर पेश किये जिनको स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम शर्मा वरिष्ठ सहायक से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/–रूपये होना बताया। उपरोक्त 5,000/–रूपए के नोटों के नम्बरों का मिलान कार्यालय में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से दोनो गवाहान से करवाया तो वही नम्बरी नोट पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर नम्बरी नोटो को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर करवाकर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. से पहनी हुई पेन्ट को उतार कर पेश करने की कहने पर आरोपी ने पहनी हुई पेन्ट उतार कर पेश की एवं थाना स्टाफ से दूसरा पेन्ट मंगवाकर पहनने को दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनो हाथ व स्टील का कटोरा, चम्मच को साबुन–पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी बहादुर

ए.एस.आई. की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई को स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो पानी रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। पेन्ट की बांयी जेब मे मिले सामान को टेबल पर रखवाया गया जिनको प्रथक से वक्त गिरफ्तारी चैक किया जावेगा। आरोपी के पेन्ट का ग्रे कलर है जिसकी धुलाई हुई जेब को सुखवाया जाकर जेब के अन्दर की तरफ पैन से सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मोहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क P अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. से परिवादी व उसके परिजनों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणो की पत्रावलियों के बारे मे पूछने पर अनुसंधान कक्ष में आलमारी में रखी हुई होना बताया। उक्त प्रकरणों की पत्रावलियों को पृथक से प्राप्त कर पृथक से जरिये फर्द जप्ति जप्त किया जावेगा। पूर्व में प्राप्त शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर इयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी श्री कप्तान गुर्जर व आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट ब्यूरो कार्यालय चौकी करौली पहुंच पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी श्री कप्तान गुर्जर व आरोपी बहादुर सिंह ए.एस. आई से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 12:40 पी.एम. पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 01:30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने आरोपी बहादुर सिंह ए.एस.आई. ने मांगने पर पुलिस थाना में स्थित अनुसंधान कक्ष की आलमारी से प्रकरण संख्या 224/2022 व 247/2022 की मूल अनुसंधान पत्रावलियां पेश की। उक्त दोनो प्रकरणों की पत्रावलियां का अवलोकन किया जाकर उक्त पत्रावलियों को श्री कैलाश चन्द एस.आई. को सुपुर्द कर प्रमाणित फोटोप्रतियां पेश करने की हिदायत दी गई। जिन्होने उक्त दोनो प्रकरणों की मूल अनुसंधान पत्रावलियां व प्रमाणित फोटाप्रतियां पेश की। प्रकरण संख्या 224/2022 धारा 143, 323, 341, 452, 354 बी, 504 व 506 भा.द.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्री बहादुर सिंह ए.एस. आई. पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली है। प्रकरण में अन्तिम केस डायरी नं. 03 दिनांक 08.05.2022 कता की हुई है। प्रकरण में आरोपी अरविन्द के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341 भा.द.सं में जुर्म प्रमाणित है। उक्त फोटोप्रति पत्रावली की नम्बरिंग करवाई गई तो कुल 21 पेज है एवं प्रकरण संख्या 247/2022 दिनांक 13.05.2022 अन्तर्गत धारा 323, 341, 327, 504 भा.द.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्री बहादुर सिंह ए. एस.आई. पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली है। प्रकरण में अन्तिम केस डायरी नं. 03 दिनांक 20.05.2022 को कता की हुई है। प्रकरण में आरोपी अरविन्द के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 504 भा.द.सं में जुर्म प्रमाणित है। उक्त फोटोप्रति पत्रावली की नम्बरिंग करवाई गई तो कुल 20 पेज है। उक्त दोनो फोटोप्रति पत्रावलियों के प्रथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो प्रकरणों की पत्रावलियों की प्रमाणित फोटोप्रतियों को वजह सबूत जप्त किया गया। परिवादी से सम्बन्धित कार्य वाधित ना हो इसलिए उक्त दोनो प्रकरणों की मूल अनुसंधान पत्रावली श्री कैलाश चन्द एस.आई. को सुपुर्द कर प्रकरणों में नियमानुसार शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 02:40 पी.एम. पर अभियुक्त बहादुर सिंह ASI पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली को जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में लिप्त पाये जाने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 03:30

पी.एम. पर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी से मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व श्री बृजेश कुमार कानि., श्री विष्णु कुमार कानि. व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. के मय लेपटॉप–प्रिन्टर आदि के अभियुक्त के चिंकारा केन्टीन के पास वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी स्थित किराये के कमरा की खाना तलाशी हेतु मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के रवाना होकर अभियुक्त के किराये के कमरा पर पहुंच किराये के मकान की खाना तलाशी जरिये फर्द नियमानुसार ली जाकर शामिल पत्रावली की जाकर रवाना होकर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी पहुंचा। समय 05:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. एवं परिवादी श्री कप्तान गुर्जर मय बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 5,000 रूपये व जप्त/शील्ड शुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, P–1, P–2 व शील्ड पैकेट मार्क P व वजह सबूत के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के सरकारी वाहन बोलेरो एवं सरकारी मोटर साईकिल व परिवादी की मोटर साईकिल से पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी से बाद ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर समय 06:05 पी.एम. पर ए.सी.बी कार्यालय करौली पहुंच गिरफतार शुदा अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. को कार्यालय निगरानी मे रखा गया एवं ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 5,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, P–1, P–2 व शील्ड पैकेट मार्क P को जमा मालखाना करवाया गया। समय 06:40 पी.एम. पर श्री कपिल सिंह कानि., मय जाप्ता को ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. का जिला चिकित्यालय से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने व कार्यालय में बन्दी गृह सुविधा नही होने के कारण पुलिस थाना कोतवाली करौली में बन्द हवालात कराने बाद हिदायत मय पृथक–पृथक तहरीर के मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के रवाना किया गया जो समय 07:25 पी.एम. पर अभियुक्त का जिला चिकित्सालय करौली से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली करौली बन्द हवालात करवाकर वापस कार्यालय आये। समय 08:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर (acer कम्पनी) से वाईस रिकार्डर को कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 05.06.2022 को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत लेन देन वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी श्री कप्तान गुर्जर एवं अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 05.06.2022 की गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री कप्तान गुर्जर से पूछ–पूछ कर आवाज पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया एवं कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ताओं की SONY कम्पनी की 3 DVD क्रमश मूल, मुल्जिम व आई.ओ. प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क ''B'' अंकित करवा मूल व मुल्जिम प्रति DVD को अलग–अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा गया। मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड DVD मार्क B कुल 2 को जमा मालखाना करवाया गया। समय 11:00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 20 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त बहादुर सिंह, ASI पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री कप्तान गुर्जर व उसके परिजन के विरूद्ध पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी जिला करौली पर दर्ज प्रकरण संख्या 224/2022 व 247/2022 में मदद करने व फाईल खर्चा की एवज में दिनांक 04.06.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 5000/–रूपये रिश्वत प्राप्त कर शेष 5000/–रूपये की और मांग करना पाया

गया एवं उक्त मांग की अनुशरण में दिनांक 05.06.2022 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. द्वारा परिवादी से पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के बाहर दांयी तरफ स्थित श्री गोमती ज्यूस सेन्टर के आगे रिश्वत राशि 5000/–रूपये प्राप्त करने पर परिवादी के निर्धारित ईशारे प्राप्त होने पर ए.सी.बी. टीम द्वारा अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. को पकड़ा जाकर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब से अभियुक्त द्वारा पेश करने पर रिश्वत राशि जप्त कर अभियुक्त बहादुर सिंह ए.एस.आई. पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी को गिरफ्तार किया गया तथा ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री कैलाश चन्द एस.आई. पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी से प्रमाणित फोटोप्रतियां प्राप्त कर वजह सबूत जप्त की गई। अभियुक्त के पास वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी से सम्बन्धित कार्य पैण्डिग होना पाया गया। अतः अभियुक्त बहादुर सिंह पुत्र श्री मोहरपाल, जाति गुर्जर, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सीता, पुलिस थाना वैर, जिला भरतपुर हाल ASI पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज०)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) अभियुक्त श्री बहादुर सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना नई मण्डी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 220/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1941-45 दिनांक 6.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला करौली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।